राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3688 / 2022

श्रीमती मंजू सोनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, असलीमपुर, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.09.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सौरभ पुरोहित, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त संशोधित अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, असलीमपुर, अलवर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेतपुरा, जयपुर में किया गया है। इसके पश्चात आदेश दिनांक 26.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेतपुरा, गोविन्दगढ, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालीखड, दौसा में किया गया है। उनका तर्क है कि स्पष्ट रूप से निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से पहले तो निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया, जबकि उसके लिये वहां रिक्त पद उपलब्ध नहीं था। उसके पश्चात आदेश दिनांक 26.08.2022 के

द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दुर्भावना दर्शित करता है।

3. उनका तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सात माह पूर्व ही पदस्थापित हुआ है। अपीलार्थी को अल्पावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कार्यरत है, ऐसे में पति–पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंषापत्र देकर सम्मानित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी की स्वेच्छा से किया जाना चाहिए। उपरोक्त आधारों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम विरूद्ध किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.2022, 26.08.2022 एवं 27.08.2022 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।
4. राज्य सरकार की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने उपस्थित होकर तर्क दिया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
6. स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है। ऐसा कोई आधार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे दर्शित होता हो कि अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से निजी प्रत्यर्थी को स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सात माह बाद किया गया है, परन्तु यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी गोविन्दगढ में वर्ष 2018 से कार्यरत है। ऐसे में गोविन्दगढ जयपुर में समुचित समय तक पदस्थापित रहने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी ने राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र अवश्य प्राप्त किया है, परन्तु इस आधार पर अपीलार्थी अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिस व्यक्ति को राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ हो उसका स्थानान्तरण विभाग नहीं कर सकता हो। बल्कि प्रशासनिक

आवश्यकता को देखते हुए प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर्मचारियों को भी स्थानान्तरित किया जा सकता है।

7. जहां तक पति–पत्नी के एक ही स्थान पर रखे जाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी की आपत्ति रही है, इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में अपीलार्थी अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर सकता है।
8. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
9. आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)